guidelines to the commercial banks from time to time to extend loans to housing sector. Since January, 1989 the overall housing finance to be provided by banks have been linked to the growth of their deposits and they are required to lend 1.5 per cent of their incremental deposits of the current year over that of the previous year to the housing sector. The banks are under further instructions from RBI that at least 30 per cent of the total allocation for housing should be reserved for direct lending and out of that at least half should be given in rural and semi-urban areas. 30 per cent of the allocation is required to be extended by way of term loans to housing agencies and rest 40 per cent is to be made available for subscriptions to guaranteed bonds and debentures of National Housing Bank (NHB) and Housing and Urban Development Corporation (HUDCO).

NHB is also operating since July, 1989 their Home Loan Account Scheme through branches of the commercial banks throughout the country. Under the Scheme, an individual can open a Home Loan Account and will be required to contribute a minimum of Rs. 30 per month or in quarterly, half yearly or annual instalments in multiple thereof for a minimum (period of 5 years. The maximum amount of loan to be given by the bank under the Scheme, will be a multiple of the amount of accumulated savings including upto-date interest.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाया गया घाटा

893. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये बैंक पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1990-91 के अन्त तक इन बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि घाटे में दिखाई गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इन बैंकों की शाखाओं द्वारा दिखाए गए घाटे के कारणों की जानकारी मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इन बैंकों द्वारा उठाए जा रहे घाटे को भविष्य में रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 44 ग्रामीण बैंकों को 21.47 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि इसकी तुलना में 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 91.87 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था । मार्च 1991 के अन्त तक संचित हानियों की रकम 363.91 करोड़ रुपए थी ।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कई कारण हैं जैसे कि ग्राहकों की पसंद पर रोक, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के लागू होने के पश्चात् बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी दल (केलकर समिति) की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय कमजोरी को दूर करने के लिए कई उपाय किये गये हैं —नामत: शेयर पूंजी में वृद्धि, प्रायोजक बैंकों से प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज दर में कटौती आदि ।